न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील/RTI/41/2023

बालकृष्ण यादव 2 टी 11, हाउसिंग बोर्ड कृष्णा नगर भरतपुर।

बनाम ...अपीलार्थी

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भरतपुर

...रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश दिनांक 16.08.2023

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट बालकृष्ण यादव 2 टी 11, हाउसिंग बोर्ड कृष्णा नगर भरतपुर की अपील लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भरतपुर के विरूद्ध इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक 564 दिनांक 03.08.2023 से लोक सूचना अधिकारी से सूचना उपलब्ध कराने/नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई।

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भरतपुर के पत्रांक एल.आर./2023/5601 दिनांक 10.08.2023 से प्रस्तुत अपील के सम्बन्ध में जवाब प्रस्तुत किया गया कि "राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) क्रमांक/प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 जयपुर दिनांक 02.02.2009 बिन्दुसं0 3 में स्पष्ट उल्लेख है कि कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड की नकल देने का आर.टी.आई. में प्रावधान है। सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है से सम्बन्धित सूचना ही उपलब्ध कराई जा सकती है। इस बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया गया था।"

लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाव का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी के जबाव से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई किसी भी सूचना का जबाब लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) क्रमांक/प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 जयपुर दिनांक 02.02.2009 के सन्दर्भ में प्रार्थी को जरिये पत्रांक 4882 दिनांक 10.07.2023 से सूचित कर दिया गया था।

अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नकल प्रावधानानुसार लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भरतपुर के कार्यालय में 15 दिवस के अन्दर किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर सूचना का नियमानुसार अवलोकन कर चाही गई सूचना चिन्हित करें, साथ ही लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के तहत बाध्यकारी प्रावधानों को मध्येनजर रखते हुये अपीलार्थी द्वारा चिन्हित की गई सूचना नियमानुसार उपलब्ध कराने का श्रम करें। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सहित) प्रेषित हो, निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भरतपुर को भी प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
भरतपुर